



दिनांक 26.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति 26 / 2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली शहर

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस

- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक:25/26.11.2022 को थाना कोतवाली शहर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झालू रोड पर चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—यश उर्फ उमंग सहित अभियुक्त 2—रोहन उर्फ मोहन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशोदही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—858/2022 धारा 302/34 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त यश उर्फ उमंग पर जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यश उर्फ उमंग निवासी मोहल्ला माहजनान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

2—रोहन उर्फ मोहन निवासी ग्राम त्रिलोकपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद भदोही/थाना सुरियावां

- 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 26.11.2022 को थाना सुरियावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इन्दिरा मिल चौराहा से जौनपुर जाने वाली रोड से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद जौनपुर, भदोही के विभिन्न थानों पर आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना भदोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0-16/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुरियावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राजेश निवासी लालमनकोट थाना चोलापुर, वाराणसी।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये 21 कट्टे जस्ता/लेड
- लूटे गये 02 कट्टे कॉपर
- घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप बरामद

दिनांक: 26.11.2022 को थाना विजयनगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिण्डन बैराज के पास 05 अभियुक्तों 1-रोहित 2-अरुण

3-मुकेश 4-अंकित 5-इसरायल को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 21 कट्टे जस्ता/लेड, 02 कट्टे कॉपर, घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 25.11.2022 को थाना विजयनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा फैक्ट्री के गार्डों को बन्धक बनाकर लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना विजयनगर पर मु0अ0सं0-1553/2022 धारा 394 भादवि पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद जस्ता/लेड, कॉपर उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रोहित निवासी सेन विहार डुण्डाहेडा थाना कासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद।
- 2-अरुण निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना बेवसिटी जनपद गाजियाबाद।
- 3-मुकेश निवासी सेन विहार डुण्डाहेडा थाना कासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद मूलपता-दमदुम फगुआ जनपद मोहनिया, बिहार।
- 4-अंकित निवासी सेन विहार डुण्डाहेडा थाना कासिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद मूलपता-पल्ला राधेश्याम का मोहल्ला थाना लाल दरवाजा जनपद फतेहगढ़।
- 5-इसरायल निवासी डेहरा थाना धौलान जनपद हापुड़।

बरामदगी

- 1-लूटे गये 21 कट्टे जस्ता/लेड।
- 2-लूटे गये 02 कट्टे कॉपर।
- 3-घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली अकबरपुर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 07 मोबाइल फोन
 - नगद रूपये
- 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 25/26.11.2022 को थाना कोतवाली अकबरपुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंझौली ओवर ब्रिज के पास से 02 अभियुक्तों 1-रवि 2-ऋषभ उर्फ प्रांजल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 07 मोबाइल फोन, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा गिरोह बनाकर जनपद व आस पास के जनपदों में राह चलते राहगीरों से मोबाइल फोन, बैग, व महिलाओं के पर्स, चैन आदि लूटकर फरार हो जाते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-रवि निवासी गन्नेपुर तिगोड़िया थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।
- 2-ऋषभ उर्फ प्रांजल निवासी रामजानकी गली थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

- 1-लूट के 07 मोबाइल फोन।
- 2-नगद रूपये।
- 3-01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)।
- 4-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गाजियाबाद/थाना भोजपुर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 23 अर्द्धनिर्मित/निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 01 जीवित कारतूस, 10 नाल
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे
 - 01 चार पहिया वाहन
 - 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक: 25.11.2022 की रात्रि थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कांशीराम कालोनी से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1-समीर 2-रिहान 3-सूरज 4-आर्यन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 23 अर्द्धनिर्मित/निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 जीवित कारतूस, 10 नाल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 01 चार पहिया वाहन, 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सूरज के विरुद्ध जनपद मेरठ, गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-समीर निवासी गली नं0-6 खत्ता रोड रसीद नगर थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।
- 2-रिहान निवासी गली नं0-8 रसीद नगर थाना ब्रहमपुरी जनपद मेरठ।
- 3-सूरज निवासी कृष्णापुरी गोविन्दापुरी कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद हालपता-रिठानी थाना परतापुर मेरठ जनपद मेरठ।
- 4-आर्यन निवासी ग्राम तलहैटा थाना भोजपुर गाजियाबाद हालपता-राधा कृष्णा विहार कालोनी थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

- 1-23 अर्द्धनिर्मित/निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-01 जीवित कारतूस, 10 नाल।
- 3-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।
- 4-01 चार पहिया वाहन।
- 5-01 दो पहिया वाहन।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की घटना का अनावरण
- लगभग 01 लाख रुपये कीमत की बैटरी, इन्वर्टर, लैपटाप, डेस्कटाप
बरामद

दिनांक: 26.11.2022 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भैंसहा सदर टोला के कट के पास से 02 अभियुक्तों 1-सन्दीप 2-अमरनाथ को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख रुपये कीमत की बैटरी, इन्वर्टर, लैपटाप, डेस्कटाप फ़ैक्सिन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कसया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कसया पर मु0अ0सं0-1113/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सन्दीप निवासी कोटवा बसावन टोला थाना महुआडीह जनपद देवरिया।

2—अमरनाथ निवासी सहोदर पट्टी थाना महुआडीह जनपद देवरिया।

बरामदगी

1—लगभग 01 लाख रूपये कीमत की बैटरी, इन्वर्टर, लैपटाप, डेस्कटाप फ़ैक्सिन।

➤ जनपद रायबरेली थाना ऊँचाहार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय जनपद रायबरेली द्वारा थाना ऊँचाहार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरीलाल को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद आगरा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 16 करोड़ 43 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद आगरा पुलिस ने अभियुक्त शान उर्फ शन्नो पुत्र हाजी अकील निवासी 4/413 पं0 पातीलाल गली थाना छत्ता जनपद आगरा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 16 करोड़ 43 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।